पत्रांक–1प्रा0आ0–13 / 2016 3184 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना / बक्सर / भोजपुर / वैशाली / सारण / समस्तीपुर / बेगुसराय / लखीसराय / खगड़िया / मुंगेर / भागलपुर / कटिहार

पटना–15, दिनांक– 25/8/16

विषय– **राहत एवं बचाव कार्य के दृष्टिकोण से बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक गाँव एवं टोले का सत्यापन कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गंगा नदी में आये बाढ़ के कारण गंगा नदी के किनारे अवस्थित 12 जिले प्रभावित हैं, जहां अबतक 30 लाख से भी अधिक लोगों के बाढ़ से प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है। बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक गाँव / टोले में रहने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता पहुंचाने के प्रति राज्य सरकार कटिबद्ध है। बाढ़ प्रभावितों के लिए चलाये जा रहे राहत एवं बचाव कार्य से कोई गाँव एवं टोला न छूट जाय इसके लिए यह आवश्यक है कि पदाधिकारियों की टीमें बनाकर बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक गाँव / टोले का सत्यापन करा लिया जाय।

अतः अनुरोध है कि अपने जिला में बाढ़ से प्रभावित सभी गाँव / टोले का सत्यापन पदाधिकारियों की विभिन्न टीमें बनाकर कराया जाय, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके जिलान्तर्गत बाढ़ से प्रभावित हरेक गाँव / टोले में राहत एवं बचाव दल की टीमों द्वारा बाढ़ से प्रभावित लोगों को वहां से सुरक्षित निकालकर राहत केन्द्रों पर लाया जा रहा है। राहत एवं बचाव दलों के साथ मोबाईल मानव चिकित्सा दल एवं पशु चिकित्सा दल को भी भेजा जाय। जिन गाँव एवं टोले से बाढ़ प्रभावित राहत शिविरों न जाकर अपने गाँव / टोले में ही रहना चाहते हों वहां पर उनके लिए पर्याप्त मात्रा में सूखा राशन पैकेट (Dry Ration Packet) की व्यवस्था की जाय।

विश्वासभाजन

25/8/16

(अनिरूद्ध कुमार)

संयुक्त सचिव